# हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

123 गंगा विहार, हरिद्वार रोड, देहरादून – 248001

दूरभाषः 0135 – 2723321, 2528085 फैक्सः 0135 – 2723323

वेबसाईटः **www.hnbumu.ac.in** ईमेलः **info.hnbumu@gmail.com**

**पत्रांकः 1604 /एच0एन0बी0यू0एम0यू0/नर्सिंग/पैरामेडिकल/18–19 दिनांकः 11 अक्टूबर, 2018**

## महत्वपूर्ण सूचना (विकलाग अभ्यर्थियों हेतु)

नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2018 के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में स्थित नर्सिंग शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध एम0एस0सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0/ बी0एस0सी0/जी0एन0एम0 /ए0एन0एम0/ पैरामेडिकल के पाठ्यक्रमों की समस्त शैक्षणिक सत्र 2018–19 में स्टेट काउन्सलिंग के माध्यम से प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही दिनांक 11 अक्टूबर 2018 से की जा रही है।

तत्क्रम में भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा प्रेषित पत्र संख्या– F.No.1-5/2014.INC दिनांक 29.10.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु मानक का विवरण निम्नवत् हैः–

### RESERVATION FOR DISABLED CANDIDATES

Disability reservation to be considered with a disability of locomotor to the tune of 40% to 50% of the lower extremity and other eligibility criteria with regard to age and qualification will be same as prescribed for each nursing programme. However a committee to be formed consisting of medical officer authorized by medical board of state government and nursing expert in the panel which may decide whether the candidates have the disability of locomotor of 40% to 50%.

प्रत्येक संस्थान में राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों की चार प्रतिशत सीटें विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होगीं। यह आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का होगा। उत्तराखण्ड एम0एस0सी0/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0/ बी0एस0सी0/जी0एन0एम0 /ए0एन0एम0/ पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2018 में विकलांग अभ्यर्थियों की अर्हता निर्धारित किये जाने के निम्नानुसार मानक होगें।

1. उक्त श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के सापेक्ष प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थी को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा इस हेतु गठित विशेष मेडिकल बोर्ड के सम्मुख दिनांक **15 अक्टूबर 2018 को प्रातः 09:30 बजे से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के देहरादून स्थित कार्यालय 105 चन्दर नगर, देहरादून में स्वंय उपस्थित होकर विकलांगता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।** यह प्रमाण–पत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2018 तक अनिवार्य रुप से केवल विश्वविद्यालय की ई–मेल (info.hnbumu@gmail.com) में भेजना होगा। दिनांक 16 अक्टूबर 2018 के पश्चात् प्रेषित प्रमाण पत्र किसी भी माध्यम से स्वीकार नही होगें।
2. अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिषत उसी सीमा तक मान्य होगा, जो इस हेतु समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली के अनुसार अनुमन्य है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
3. उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून के 105–चन्दर नगर, देहरादून स्थित कार्यालय में दिनांक 15 अक्टूबर 2015 को प्रातः 09:30 बजे से बैठेगा। उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी भी मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. अतः इच्छुक विकलांग अभ्थर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे उक्त श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के सापेक्ष प्रवेष लेने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तराखण्ड द्वारा गठित उक्त विषेष मेडिकल बोर्ड के सम्मुख कॉउन्सिलिगं के समय निर्धारित तिथि/समय मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करें एवं इस प्रमाण पत्र को दिनांक 16 अक्टूबर 2018 तक अनिवार्य रुप से विश्वविद्यालय की ई–मेल (info.hnbumu@gmail.com) में भेजें।

कुलसचिव,

हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय